कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला – धमतरी (छ.ग.)

Website – www.nagarnigamdhamtari.org, Email ID – commissionerdhamtari@gmail.com, फोन नम्बर/फैक्स नम्बर – 07722-241599

* नगर के वार्ड क्रमांक 15 से 19 एवं 20 से 24 में सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था हेतु निविदा शर्ते एवं नियम *

01. नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 233 दिनांक 12.07.16 तहत् विज्ञापित कार्यो के लिए निविदा में श्रम विभाग में पंजीकृत श्रम नियोजक/ठेकेदार ही भाग ले सकते है।

02. इच्छुक पंजीकृत निविदाकारों/फर्मो को निविदा प्रपत्र क्रय के लिए स्वहस्ताक्षरित आवेदन पत्र ओरिजनल लेटर हेड में विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित तिथि/समयावधि में प्रस्तुत करना आवश्यक हैं। निर्धारित तिथि/समयावधि के उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। इसी प्रकार पात्र पंजीकृत निविदाकारों/फर्मो को निर्धारित तिथि/समयावधि में ही निविदा प्रपत्र विक्रय किये जायेंगे।

03. निविदा प्रपत्र क्रय के लिए आवेदन पत्र के साथ निविदाकार को अपनी फर्म का निम्नांकित दस्तावेजों की स्व–सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
    01. श्रम विभाग में पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र/स्थायी श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)।
    02. वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन, वाणिज्य कर चुकता प्रमाण पत्र (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)।
    03. आयकर विभाग में पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र/पेनकार्ड।
    04. ठेकेदारी का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र (निविदाकार का सिविल वर्क के लिए पंजीयन की स्थिति में)।

    उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें और न ही निविदा प्रपत्र जारी किये जायेगें।

04. कार्यवार निविदा 02 लिफाफे में (निविदा प्रपत्र एवं अमानत राशि पृथक–पृथक) स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही निविदा दरें निर्धारित तिथि **दिनांक 02.08.16 को समय अपरान्ह 03 बजे तक** जमा करना होगा। अन्य रीति से एवं निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगा।

05. विज्ञापन अनुसार कार्यवार निर्धारित अमानत राशि पृथक–पृथक एफ.डी.आर के रूप में निविदा के साथ जमा/प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नकद राशि स्वीकार नहीं किया जावेगा।

06. निविदा खोलने की कार्यवाही दौरान सर्वप्रथम अमानत राशि जमा वाला लिफाफा खोला जायेगा, निर्धारित अमानत राशि जमा पाये जाने के उपरांत ही मूल निविदा (निविदा प्रपत्र) जमा वाला लिफाफा खोला जायेगा। निर्धारित अमानत राशि जमा नही पाये जाने पर मूल निविदा (निविदा प्रपत्र) जमा वाला लिफाफा नहीं खोला जायेगा तथा संबंधित निविदाकर्ता का जमा/प्राप्त निविदा निरस्त माना जायेगा।

07. निविदाकार/फर्म को कार्यवार निविदा दरें एकमुश्त राशि में प्रस्तुत करना होगा। निविदा दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा। कांट–छांट अथवा ओव्हर राईटिंग की हुई निविदा अस्वीकार की जावेगी।

08. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

09. निविदा/निविदा दर स्वीकृति हेतु अधिकृत पदाधिकारी **(आयुक्त, नगर पालिक निगम धमतरी)** का किसी भी निविदा/प्राप्त निविदा दर को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

10. प्राप्त निविदायें खोलने, निविदायें लिस्टिंग किये जाने के उपरांत सफल निविदाकार की जमा निविदा अमानत राशि/एफ.डी.आर. को छोड़कर शेष निविदाकारों की जमा अमानत राशि/एफ.डी.आर. वापस/रिलीज कर दी जायेगी। सफल निविदाकार की जमा अमानत राशि/एफ.डी.आर. संतोषप्रद ढंग से कार्य सम्पादन एवं कार्यानुबंध की अवधि समाप्ति उपरांत नियमानुसार वापसी योग्य होगी

11. निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने पर कार्यालयीन सूचना अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर अनुबंध निष्पादन कर कार्य को प्रारंभ करना होगा। अन्यथा स्थिति में संबंधित निविदाकार की जमा निविदा अमानत राशि राजसात कर सफाई कार्य हेतु नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

12. निविदाकार को प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से प्रति वार्डो में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य प्रारंभ करना होगा, जो प्रत्येक वार्ड में स्थित समस्त भवनों से शत–प्रतिशत कचरा एकत्र करने तक करना होगा।

13. निविदकार द्वारा वार्डो में डोर–टू–डोर कलेक्ट (संगृहित) किये गये कचरे को वार्ड में चिन्हांकित स्थल पर प्राथमिक रूप से इकट्ठा कर रखा जायेगा, जिसका ट्रेचिंग ग्राउण्ड तक परिवहन कार्य निगम के वाहन से किया जायेगा।

14. निविदाकार को कचरा परिवहन कार्य के अंतर्गत स्वयं एंजेसी द्वारा डोर टू डोर सूखा एवं गीला कचरे को एकत्र किये गये एवं निगम के विभागीय सफाई कर्मचारियों द्वारा सडक एवं नाली की सफाई उपरांत निकाले गए कचरे को उनके द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र में एकत्र किये गये कचरे का हटाना शामिल होगा।

15. निविदाकार को कचरा परिवहन के अंतर्गत साफ–सफाई का कचरा हटाना होगा। बिल्डिंग मटेरियल इसमें सम्मिलित नहीं होगा।

16. कचरा परिवहन प्रतिदिन प्रति वार्ड में शत–प्रतिशत सुनिश्चित किया जावेगा।

17. वार्डो में सडको की सफाई प्रतिदिन कराना होगा।

18. वार्डो में कोई आयोजन कार्यक्रम होने पर स्थल की सफाई व चूना लाईन लगाना होगा।

19. बडी नालियों की सफाई (डेढ़ फुट से दो फुट चौडी) एक दिन के अंतराल में, छोटी नालियों की सफाई (1 फुट से कम चौड़ी) प्रतिदिन सफाई कराना होगा।

20. नाला की सफाई प्रति 06 माह में अनिवार्य रूप से सफाई कराना होगा।

21. निविदा/ठेके की कार्य अवधि अनुबंध तिथि से 01 वर्ष अर्थात 12 माह की होगी परन्तु कार्य संतोषजनक पाये जाने पर उसके उपरांत प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत दर वृद्धि कर अधिकतम 3 वर्ष तक निविदा/ठेके का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

22. निविदाकार को वर्ष में 365 दिन प्रतिदिन कार्य सेवा उपलब्ध कराना होगा। श्रम विभाग के नियम अनुसार अपने कामगारों को साप्ताहिक अवकाश दिये जाने कीं स्थिति में उसे वैकल्पिक कामगार की पूर्ति से नियमित कार्य का संपादन सुनिश्चित करना होगा।

23. निविदाकार प्रतिवर्ष में डोर टू डोर कचरा संग्रहण कार्य की मासिक डायरी रखेगा जिसमें प्रति वार्ड में प्रतिदिन कम से कम 10 भवन स्वामियों से कार्य संपादन के सत्यापन स्वमेय हस्ताक्षर लेना होगा, डोर टू डोर संग्रहण कार्य में संलग्न सभी कामगार वाहनों का कार्य का निरीक्षण कभी भी किया जा सकेगा। कार्य का निरीक्षण मोहल्ला विकास समिति के सदस्य, पार्षद, निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकृत अधिकारी, आयुक्त, एमआईसी सदस्य, महापौर, सभापति द्वारा किया जा सकेगा।

24. निविदा एजेंसी के डोर टू डोर कलेक्शन अथवा कचरा परिवहन कार्य शत–प्रतिशत नहीं पाये जाने पर कार्य में कमी के आधार पर आर्थिक दण्ड के रूप में अधिकतम 2 हजार रूपए तक अधिरोपण करते हुए मासिक देयक से कुल आर्थिक दण्ड की राशि जो अधिकतम 25000.00 रू. तक की होगी, कटौती की जा सकेगी।

25 लगातार 3 माह तक कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने एवं आर्थिक दण्ड की कटौती होने की दशा में अनुबंध निरस्त कर जमा निविदा अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

26. निविदाकार को कार्य प्रारंभ करने पर उपयोग किये जा रहे वाहन, कामगार की संख्या, मशीनरी की संख्या एवं उनके विवरण कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

27. निविदाकार को प्रति माह 07 तारीख तक मासिक देयक शत्-प्रतिशत कार्य संपादन की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

28. वार्डों में सफाई व्यवस्था अंतर्गत दवाओं के छिड़काव हेतु फागिंग मशीन/केमिकल आदि निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

29. निविदाकार EPF/ESIC में पंजीकृत मजदूरों से ही कार्य कराया जाना अनिवार्य होगा।

30. प्रतिमाह निविदाकार/ठेकेदार वार्डों में कार्यरत मजदूरों का बैंक के माध्यम से पारिश्रमिक भुगतान कर EPF/ESIC जमा की पावती संलग्न कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करने के उपरांत ही उन्हें ठेका राशि भुगतान की जावेगी।

31. कुल 05 वार्डों में ठेका कार्य नाली, कचरा, रोड सफाई एवं कचरा परिवहन के लिए प्रत्येक वार्ड हेतु 05 मजदूर अर्थात कुल 25 मजदूर न्यूनतम लगाया जाकर कार्य कराया जाना अनिवार्य होगा।

32. निविदा कार्य में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में नगर निगम का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम धमतरी